Annexure-1

FORM-I
(For Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi.

Name of Project :- Construction of Bagasu to Baladi motor road.

No. ...88/2015..... Dated ..23-9-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forest (FoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt-) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.835 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Barkot** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Baladi Gaon** in **Barkot** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.835 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal group and preagricultural communities.

Encl : As above

(Indudhar Baurai)
District Magistrate,
Uttarkashi.

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE -
DISTRICT Uttarkashi (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baudai I.A.S. District Magistrate Uttarkashi on date 19-8-15 at time 11 AM at Uttarkashi in which application claiming rights in civil land area measuring 1.835 hect for the construction of Motor Marg Construction of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Uttarkashi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said propose.

Place : Uttarkashi

Dated : 23-9-2015

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

It is certified that- Minutes of meeting of Construction of Bagasu to Baladi motor road regarding FRA is as following :-

Sr. No.		**Remarks**
(a)	The complete process for identification an settlemet of rights under the FRA had been carried out the entire 1.855 Hect. of forest area proposed for deversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest right committee(s), sub division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid is Construction of Construction of Bagasu to Baladi motor road scheme attached.
(c)	The proposal does not innvolve recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Indudhar Baudrai)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

का :–	जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड नौगॉव के अन्तर्गत बगासू से बलाडी मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 19-8-15............ मे जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे समस्त सदस्यगण थे इस बैठक मे निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ग्राम बगासू से बलाडी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु **शून्य**_है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 107 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु नि0ख0 लो0नि0वि0 बडकोट को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा –6(1) के अनुसार ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक 18.03.2015 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा –6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी बडकोट की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक.....19.03.2015......... को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि अपर यमुना वनप्रभाग की रवांई रेन्ज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भु–भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है ।

बैठक मे जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त मे बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी सदस्य (जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी)	प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट सदस्य	(जिलाधिकारी) जिलाधिकारी अध्यक्ष उत्तरकाशी
श्री जितेन्द्र राणा जिला पंचायत सदस्य (जितेन्द्र सिंह राणा सदस्य जिला पंचायत ठकनौर/ जिला योजना समिति उत्तरकाशी)	श्रीमति अनिता गुसाई जिला पंचायत सदस्य (सदस्या जिला पंचायत–04 मथाली)	श्री अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य (अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य वार्ड–18 ...)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — बगासू

तहसील— बड़कोट, जिला— उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद — उत्तरकाशी —के अन्तर्गत — बगासू से बलाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण —परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.635 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल ....हे0 वन भूमि का लो.नि.वि. बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत — बगासू —— द्वारा दिनांक 18/03/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — बगासू-बलाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि.वि. बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	[signature] 18/3/2015	ह0/– [signature] 18/03/2015
ग्राम सचिव	क्षेत्र पंचायत सदस्य बगासू विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी)	ग्राम प्रधान
		(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत बगासू, विकास खण्ड नौगाँव (उत्तरकाशी))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 18-3-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बगासू

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बहादुर सिंह S/o दीपकचन्द बगासू	बहादुर सिंह असवाल
2	प्रदीप सिंह S/o कीर्ति सिंह "	[illegible]
3	जयदेव असवाल S/o अमर सिंह बलाड़ी	[illegible]
4	इलम सिंह असवाल S/o विक्रम सिंह "	असवाल
5	मोहन सिंह S/o अजयपाल सिंह	मोहन सिंह
6	रुलम सिंह S/o गब्बर सिंह बगासू	रुलम सिंह
7	रेवत सिंह S/o गब्बर सिंह बगासू	रेवत सिंह
8	महावीर सिंह S/o " " "	महावीर
9	[illegible]	[illegible]
10	हरदयाल सिंह असवाल बलाड़ी	[illegible]
12	मनवीर सिंह असवाल बलाड़ी	[illegible]
13	धर्म सिंह S/o प्रतापसिंह बगासू	धर्म सिंह
14	[illegible] S/o ज्ञानचन्द	[illegible]
15	सोबन चन्द S/o हुकम सिंह बगासू	सोबनचन्द
16	धनवीर सिंह S/o रतन सिंह "	[illegible]
17	अजयपाल सिंह असवाल	[illegible]
18	बहादुर सिंह S/o फतेसिंह	बहादुर सिंह
19	[illegible] सिंह S/o सूरत सिंह	बहादुर
20	[illegible] सिंह S/o हुकम सिंह	[illegible]
21	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]

22 - दर्शनपाल सिंह S/o पूरब सिंह बलाड़ी दर्शनपाल सिंह

23 - बचेन्द्र सिंह असवाल [illegible] बलाड़ी

24. जयपाल सिंह जयपाल सिंह बगासू

25 - कबूलचन्द

26 - निरंजन सिंह असवाल बगासू

27. हरीशचन्द असवाल " Harish

28. रमेशचन्द असवाल बलाड़ी रमेशचन्द

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत बगासू, विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी) 18/03/2015

सदस्य क्षेत्र पंचायत बगासू, विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी) 18/03/15

प्रपत्र–23.2

योजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड बड़कोट ..रेक्षेत्र के अन्तर्गत कफनौल से कलाड़ी मोटर मार्ग (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.835 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.835 हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 18.05.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ए0के0 पाण्डेय उपजिलाधिकारी बड़कोट उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
2– श्री ... उप प्रभागीय वनाधिकारी– ... सदस्य
3– श्री ... सहायक समाज कल्याण अधिकारी– ... सदस्य/सचिव
4– श्री ... बी0डी0सी0 क्षेत्र कफनौल ... सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कफनौल से कलाड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.835 हे0 सिविल सोयम वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत कफनौल से कलाड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.835 हे0 वन भूमि ... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को **सूचनार्थ एवं** आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रपत्र–23.3